

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंपावत के माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14-02-2019 से 18-02-2019 तक श्री शशिकांत पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

- परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशीराम नौटियाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.03.2018 से 13.03.2018 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 06/2015 से 02/2018 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गयी थी।
- (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** इकाई द्वारा मुख्यतः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंच/ तामली/ बनबासा एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चलथी/स्वाला/सिप्ति/धौन के अंतर्गत सभी प्रकार की चिकित्सकीय सेवाये प्रदान करना।

इकाई द्वारा यूजर चार्जस, एन° एच° एम°, जननी सुरक्षा योजना, प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण का संचालन किया जाता है।

- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित) की स्थिति निम्नवत है:**

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण राशि	बचत (-) ₹	वापसी/ अग्रिम राशि
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹			
2015-16	00	5.46	566.53	456.84	87.52	84.61	109.69	8.37	-----
2016-17	00	8.37	552.23	471.70	92.04	71.00	80.53	27.93	1.48
2017-18	00	27.93	561.39	533.47	92.05	107.88	27.94	6.38	5.72
2018-19 (UPTO 01/2019)	00	6.38	509.10	483.37	105.39	83.81	-----	52.46	1.23

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रा० अवशेष	प्राप्त ₹	व्यय ₹	बचत ₹	वापसी/अग्रिम राशि
2015-16	NHM	5.46	87.52	84.61	8.37	-----
2016-17	NHM	8.37	92.04	71.00	27.94	1.48
2017-18	NHM	27.94	92.05	107.88	6.39	5.72
2018-19 (UPTO 01/2019)	NHM	6.39	105.39	83.81	26.74	1.23

(iii) इकाई श्रेणी "सी" के अंतर्गत आती है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम, यूजर चार्जस, औषधि क्रय एवं उनका उपयोग, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद संबंधी लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इकाई के अंतर्गत आच्छादित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंच/तामली/बनबासा एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चल्थि/हवाला/धौन के लेखों की लेखापरीक्षा की गयी। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंपावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। औषधि क्रय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आच्छादित योजनाये, यूजर चार्जस आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)**प्रस्तर-1- रु 31,470/- का अनियमित एवं अवैध भुगतान ।**

रोगी कल्याण समिति (एस ए डी धौन, स्वाला , सिपति, तामली, चलथी) से संबन्धित यूजर्स चार्जेस की पंजिका एवं रोगी कल्याण समिति की कैश बुक (2017-18) की जांच मे पाया गया कि दिनांक 07.09.2018 को रु 31470.00 (details given in the table below) Infotech Computer Almora का भुगतान किया गया।

Details of Rs 31470.00 given to Infotech Computers, Almora

SI No.	Bill No.	Date	Amount in Rs.	Details of services/product received
1	427	31.03.2017	2220.00	Nil
2	423	31.03.2017	2620.00	Nil
3	385	31.03.2017	1000.00	Nil
4	372	31.03.2017	4450	24Q4 digitisation and uploading fee/form16(annxII) digitisation (69*50)
5	318	22.02.2017	2000	Nil
6	307	31.03.2016	1460	Nil
7	299	31.01.2016	1000	26Q3 digitisation
8	287	21.01.2017	1000	Nil
9	232	22.11.2016	1000	Nil
10	229	15.01.2018	1000	Nil
11	203	22.01.2016	1000	Nil
12	200	21.01.2016	3000	Nil
13	161	15.09.2016	1000	Form24Q1
14	154	20.11.2015	720	Form16AQ1 & Q2 downloading (36@20)
15	123	19.10.2015	1000	26Q2 digitisation
16	117	12.10.2017	1000	Form 26Q2 (TDS NON SALARY)
17	87	21.07.2018	1000	Form 24Q1 digitisation and uploading fee
18	59	20.06.2016	1000	24QC4 correction
19	40	09.09.2015	1000	26Q1 digitisation
20	28	13.07.2017	1000	Nil
21	4	16.04.2016	1000	Nil
22	2	20.06.2018	1000	Nil

उपरोक्त टेबल मे दर्शाये गए बिलों की डिटेल्स के अनुसार SI no 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,20,21,22, पर अंकित बिलों (रु 31,470/-) मे कोई भी डिटेल्स अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि किस हेतु पेमेंट किया गया । कार्यालय भी इस संबंध कोई स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित देने मे असफल रहा। पुनः अन्य बिलों के संबंध मे भी कोई स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्टतः उक्त भुगतान अनियमित एवं संदिग्ध था।

इकाई ने उत्तर में बताया कि 'चूंकि बिल मेरा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व के है और ली गयी सेवाओं के साक्ष्य तत्काल उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संबंध में सभी व्यक्तियों से बात कर उचित कार्यवाही की जाएगी'।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि passed bill से संबंधित समस्त अभिलेख के सत्यापन के बाद ही उक्त बिल पर भुगतान किया जाता है और इकाई कोई भी संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रही।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में दिनांक 28.09.2018 एवं 29.09.2018 को आयकर मांग के विरुद्ध क्रमशः रु ₹52710.00 एवं ₹12980.00 (कुल रु 65690.00) टीएएन MRTC 01328F में जमा किया गया। आयकर की मांग के विरुद्ध कुल रु 65690.00 का भुगतान, रोगी कल्याण समिति की निधि से किया गया। कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त मांग कार्यालय के कर्मचारियों के आय कर को कार्यालय द्वारा देर से जमा करने पर दंडस्वरूप ब्याज की अवशेष मांग है जिसे रोगी कल्याण समिति की निधि से जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनः उक्त TAN खाते में दिनांक 15.11.2018 रु 8050, 14.11.2018 रु 16800.00, 25.10.2018 रु 2200.00, दिनांक 14.11.2018 960.00, दिनांक 25.10.2018 रु 19200.00 (कुल रु 47210.00) जमा किया गया जिसके बारे में बताया गया कि इस धनराशि को संबंधित कर्मचारियों से लेकर टीएएन खाते में जमा किया गया क्योंकि कार्यालय के खाते से लेन देन पर विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया था और कार्मिकों की सैलरी नहीं मिल पा रही थी। स्पष्टतः उक्त TAN खाते में कुल रु 112900.00 रोगी कल्याण समिति से एवं संबंधित कर्मचारियों द्वारा जमा किया जाना अनियमित एवं अवैध था क्योंकि आय कर को कार्यालय द्वारा देर से जमा करने पर दंडस्वरूप ब्याज की अवशेष मांग थी जिसे रोगी कल्याण समिति की निधि से एवं संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं जमा किया जाना चाहिए था।

इकाई ने उत्तर दिया कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी, तदनुसार सूचित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आय कर को कार्यालय द्वारा देर से जमा करने पर दंडस्वरूप ब्याज की अवशेष मांग थी जिसे रोगी कल्याण समिति की निधि से एवं संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं जमा किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त दोनों प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)**प्रस्तर-2- रु 51.84 लाख का राज्य सरकार का अंशदान संबन्धित के खाते मे जमा न करना**

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्मिको के वेतन से वेतन+ ग्रेड+दैनिक भत्ता का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है,

(अ) कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंपावत की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित पास बुक एवं वेतन पंजिका बिल में 22 अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 04 माह से 58 माह विलम्ब से होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को धनराशि रु 28.8 लाख का मिलने वाला राज्य सरकार अंशदान का लाभ नहीं मिल सका।

(ब) आगे जाँच करने पर यह देखा गया की वेतन से अंशदान की कटौती पास बुक एवं वेतन बिल में किया जा रहा था। लेकिन कार्मिको को मिलने वाला राज्य सरकार अंशदान माह मार्च 2017 से माह जनवरी 2019 तक विगत 23 माह से धनराशि रु.23.04लाख खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में $(28.8+23.04=51.84)$ लाख परिणामस्वरूप राज्य सरकार की देयता बढ़ती जा रही है। विवरण निम्नावत है।

Sr No.	Name of Employs	Denegation	Month from 3/2017 tojan2019	Subscription for Emp	subscription due forGovt	Deposit in the a/Cp+GP of 10%	Total Amount due
1.	Shri Manoj kumar	Pharmacist	23	131147	0	131147	131147
2.	Shrisanjaykumar	Pharmacist	23	131322	0	131322	131322
3.	ShriDilipsingh	Pharmacist	23	144686	0	144686	144686
4.	Smtvijayshri	Pharmacist	23	144570	0	144570	144570
5.	SmtNirmalaaloli	Pharmacist	23	144686	0	144686	144686
6.	Shripretamlal	Pharmacist	23	144686	0	144686	144686
7.	ShriGitrandarvarma	Pharmacist	23	131330	0	131330	131330
8.	SmtMamtavishkarma	Pharmacist	23	131322	0	131322	131322
9.	SmtPrikshaRana	Pharmacist	23	131322	0	131322	131322
10.	Shri Anil Kumar	Pharmacist	23	131322	0	131322	131322
11.	Shriprakeshchandra	Pharmacist	23	144686	0	144686	144686
12.	ShriPromod Joshi	D R Asstt	23	51818	0	51818	51818

13	SmatSapnashuk la	ANM	23	126014	0	126014	126014
14	SmtKiran	-	23	49180	0	49180	49180
15	SmtDepaDhmi	Pharmacist	23	117336	0	117336	117336
16	Smtbhawanapok hariyal	ANM	23	89803	0	89803	89803
17	SmtNetujoshi	BHW	23	89803	0	89803	89803
18	Smtbabitamahar	BHW	23	89803	0	89803	89803
19	Smt Vinita Singh	BHW	23	89903	0	89903	89903
20	SmtNirmalajoshi	BHW	23	89903	0	89903	89903
21	SmtAshawati Pal	Pharmacist	23	96515	0	96515	96515
22	SmtmamtaGosw ami	Pharmacist	23	89803	0	89803	89803
	Total=			2304642/		2304642/	2304642/

उक्त दोनों प्रकरणों के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि आबंटित खाता संख्या विलम्ब से प्राप्त हुआ था। कार्मिकों की अंशदान की धनराशि वेतन से निरंतर काट कर खाते में जमा की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार का अंशदान खाते में जमा नहीं हो रहा है। इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है। अतः रु 51.84. लाख का राज्य सरकार का अंशदान संबंधित के खाते में ना जमा करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- एनएचएम के अंतर्गत रु 2.88 लाख के UNTIED FUND का प्रस्ताव बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रेषित किया जाना।

एनएचएम के अंतर्गत UNTIED FUND की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत चिकित्सा प्रबंध समिति के अनुमोदन से प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। जिसको ध्यान में रखकर एनएचएम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा धनराशि अवमुक्त किया जाता है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि UNTIED FUND के रूप में वर्ष 2017-18 में रु 80,850/- की धनराशि एनएचएम खाते से अवमुक्त की गयी थी। जिसमें पुताई एवं रंगरोगन के लिये रु 34,900/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसका आगणन भी बनाया गया था। किन्तु आगणन को किसी भी तकनीकी प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया। जबकि सीएमओ स्तर पर अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता कार्यरत थे। साथ ही वर्ष 2018-19 में अति० प्रा० स्वा० केंद्र मंच द्वारा रु 1,26,500/- की धनराशि का प्रस्ताव बिना चिकित्सा प्रबंध समिति के अनुमोदन के प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त माह मार्च 2018 को एपीएचसी बनबासा को भी रु 80,850/- की धनराशि UNTIED FUND के रूप में इकाई द्वारा बिना प्रस्ताव के प्रेषण के अवमुक्त की गयी तथा व्यय किया गया।

जिसके संबंध में इकाई के द्वारा बताया गया कि धनराशि का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है एवं प्राप्तकर्ता इकाई की आवश्यकतानुसार ही उपरोक्त धनराशि को निर्गत किया गया है। तथा निर्माण कार्यों में जिसमें आगणन बनाया गया हो की तकनीकी स्वीकृति हेतु अवर/सहायक अभियंता से प्राप्त कर ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि जिला स्तरीय समिति द्वारा धनराशि के निर्धारण का कोई आधार नहीं है तथा आवश्यकता का निर्धारण भी बिना चिकित्सा प्रबंध समिति के प्रस्ताव प्रेषण के ज्ञात नहीं किया जा सकता।

अतः रु 2.88 लाख के UNTIED FUND का प्रस्ताव बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रेषित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN**प्रस्तर-2- यात्रा भत्ता मे रु 49,527/- का लंबित समायोजन।**

यात्रा भत्ता पंजिका एवं अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया की लेखा परीक्षा अवधि तक चार कार्मिको का रु. 49527/ - का यात्रा भत्ता देयक का समायोजन विगत 11 माह से लंबित था। विवरण निम्नावत है-

क्रम सं	नाम	पद नाम	यात्रा की तिथि	धनराशि
1	श्री अनिल कुमार	फर्मासीस्ट	3.3.2018 से 16.6.2018	रु.16962/
2	श्री प्रीतम लाल	फर्मासीस्ट	3.3.2018 से 17.6.2018	रु.18059/
3	श्री दिलीप सिंह राणा	फर्मासीस्ट	2.3.2018 से 15.4.2018	रु.7495/
5	श्री संजय कुमार	फर्मासीस्ट	3.3.2018 से 14.4.2018	रु.7011/
			कुल योग =	रु.49527/

इकाई से पूछने पर बताया गया कि कार्य की अधिकता के कारण समायोजन नहीं किया जा सका।

अतः यात्रा भत्ता मे रु 49,527/- के लंबित समायोजन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है

भाग-III**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
43/2015-16	1	1	-
219/2017-18	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी के संस्तुति हेतु अपेक्षित थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक सवास्थ्य केंद्र चंपावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**
2. शून्य
3. सतत् अनियमितताएं:शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा० के०सी० ठाकुर	प्र० चि० अधि०	03/2018 से 05/2018 तक
2.	डा० रश्मि पंत	प्र० चि० अधि०	01.06.2018 से 03.10.2018 तक
3.	डा० कुलदीप यादव	प्र० चि० अधि०	04.10.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत को इस आशय से प्रेषित की गयी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.